न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 15 / 2016

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| श्री रमेशचन्द, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उ0प0 रेल्वे0 जयपुर | | 1 मुकेश कुमार पुत्र प्रतापराम, सेल्समेन, मैसर्स सांई बालाजी फूड कॉपोरेशन फास्टफूड यूनिट लिमिटेड, प्लेटफार्म संख्या 1 रेल्वे स्टेशन, पाली<br>2 श्री पी0 श्रीनिवासा राव (प्रोपराईटर) मैसर्स सांई बालाजी फूड कॉपोरेशन फास्टफूड यूनिट लिमिटेड, प्लेटफार्म संख्या 1 रेल्वे स्टेशन, पाली निवासी डॉ0 संख्या 24–7–8 राजागोपालाचार्य बाजार के पीछे, रामनगर, गांधीनगर के पास, विजयवाडा<br>3 श्री अश्विन गर्ग पुत्र रमेशचंद गर्ग, मैसर्स सांई बालाजी फूड कॉपोरेशन फास्टफूड यूनिट लिमिटेड, प्लेटफार्म संख्या 1 रेल्वे स्टेशन, पाली पता बी.–2 टी.टी. कॉलोनी, आबुरोड जिला सिरोही<br>4 मैसर्स सांई बालाजी फूड कॉपोरेशन फास्टफूड यूनिट लिमिटेड, प्लेटफार्म संख्या 1 रेल्वे स्टेशन, पाली डॉ0 संख्या 24–7–8 राजागोपालाचार्य बाजार के पीछे, रामनगर, गांधीनगर के पास, विजयवाडा |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. श्री रमेशचन्द, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 31/12/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर में पदस्थापित है। दिनांक 28.01.2016 को दौराने गस्त मैसर्स सांई बालाजी फूड कॉपोरेशन फास्टफूड यूनिट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

लिमिटेड, प्लेटफार्म संख्या 1 रेल्वे स्टेशन, पाली से अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में वहां बिक्री हेतु रखे हुए पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर गेलन में मिलावट का शक हुआ, इस पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर गेलन को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर गेलन को चार पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पैक्ड अवस्था में ही बांधा व लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर NWR-205 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द सामग्री खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर गेलन को Food containini extraneous under section 3(1) (i) of Food Sefety and Standards Act-2006 का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर गेलन का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने प्रत्यत्तर में कथन किया कि वह आई0आर0सी0टी0सी0 केन्टीन में काम करता है, जिसका मालिक अप्रार्थी संख्या 3 है। गेलन नामक बोतल बंद मिनरल पानी अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा केन्टीन पर भेजा जाता है। पानी किस स्तर का है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 किसी भी रूप में दोषी नही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 मासिक वेतनभोगी कार्मिक के रूप में कार्यरत होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप कराने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 2, 3 उपस्थित हुए, किन्तु किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.01.2016 को अप्रार्थी की फर्म से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर गेलन क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या NWR-205 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./82/एक्ट/2016/114 दिनांक 08.02.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या NWR-205 को Food containini extraneous under section 3(1) (i) of Food Sefety and Standards Act-2006 माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 54 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जिस पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर गेलन का विक्रय किया जा रहा था, वह सामग्री अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 4 फर्म मैसर्स सांई बालाजी फूड कॉपोरेशन फास्टफूड यूनिट लिमिटेड, प्लेटफार्म संख्या 1 रेल्वे स्टेशन, पाली, डॉ0 संख्या 24–7–8 राजागोपालाचार्य बाजार के पीछे, रामनगर, गांधीनगर के पास, विजयवाडा की है, जिसके मैनेजर अप्रार्थी संख्या 3 व प्रोपराईटर अप्रार्थी संख्या 2 है। इस सामग्री किस स्थान से क्रय की गई, इस बाबत अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। इस कारण अप्रार्थीगण द्वारा विनिर्मित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर गेलन अवमानक स्तर का साबित होने से अप्रार्थीगण का यह कृत्य इसी अधिनियम की धारा 54 के अधीन शास्ती योग्य है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Food containini extraneous स्तरीय पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर गेलन का विर्निमाण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 54 के तहत अप्रार्थीगण पर पृथक पृथक रूप से 10,000/– – 10,000/– कुल 40,000/– अक्षरे चालीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली